(c) what is Government's reaction thereto and

(d) the steps which the Reserve Bank of India/his Ministry have taken to set matters right so far as the operation of STAR TV in. India is concerned and the observance of RBT norms by it and its Indian arm?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRE OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) The information is being 'collected and will be laid on the Table of the House.

रुपये की क्रय शक्ति में कमी

3334. श्री राम जेठमलानी :
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1980–81 वर्ष के मूल्यों के आधार पर देश में गत तीन वर्षों से रुपए की क्रय शक्ति में निरन्तर कमी आ रही है ;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1992 मार्च, 1993 और मार्च, 1994 के अन्त में रुपए की क्रय शक्ति कितनी-कितनी थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि क्रय शक्ति जनवरी, 1995 में और भी कम होने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) (क) से (घ) वर्ष 1980–81 के आधार रूप में औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन द्वारा यथामापित एए की क्रय शक्ति मार्च, 1993 में 33.47 पैसे और मार्च, 1992 में 35.52 पैसे की तुलना में मार्च, 1994 में 30.46 पैसे थी जनवरी 1995 में रुपए की क्रय शक्ति और घटकर 28.14 पैसे हो गई।

सिने कलाकारों पर आयकर के बकाया

3335. श्री अनन्त राम जायसवाल :
श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कतिपय सिने कलाकारों पर आयकर की बड़ी राशि बकाया है यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक कलाकार पर अलग-अलग कितनी धनराशि बकाया है और कब से; और

(ख) क्या सरकार उपर्युक्त धनराशि की वसूली के लिए तुरन्त कार्रवाई करेगी यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) यह सच है कि सिने कलाकारों की तरफ आयकर की धनराशियां बकाया हैं। दिनांक 31–12–94 की स्थिति के अनुसार जिन सिने कलाकारों की तरफ 10 लाख रु० से अधिक की आयकर की मांग बकाया थी, उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिए)।

(ख) जी, हां। अनेक मामलों में उक्त मांगें अपीलों में विवादग्रस्त हैं, जिनका निपटान अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इन मामलों में बकाया की स्थिति को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात कर की इन बकाया राशियों की वसूली करने के लिए कानून के अन्तर्गत यथाउपबंधित उपाय तत्काल किए जाते हैं। इन उपायों में ब्याज तथा अर्थदण्ड लगाने, चल एवं अचल परिसम्पत्तियों की कुर्की करने और तत्पश्चात सम्पत्ति की बिक्री आदि जैसे उपाय शामिल हैं। उचित मामलों में अभियोजन भी चलाया जाता है।